न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)बालोतरा

पीठासीन अधिकारी–श्री विवेक व्यास,आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :–111/2022

वादी **बनाम** **प्रतिवादीगण**

धर्माराम पुत्र कालुराम जाति माली निवासी बालोतरा तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर	1.मोहनलाल पुत्र भैरजी 2.हंजारीमल पुत्र भैरजी 3.भाटाराम पुत्र भैरजी 4.जवाहर जी पुत्र भैरजी 5.नैनाराम पुत्र घेवरजी 6.माणकचन्द पुत्र भैरजी जाति माली निवासीयान भैरजी की वाडी समदडी रोड,बालोतरा 07.राजस्थान राज्य जरीये तहसीलदार पचपदरा व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री राजेश भार्गव अधिवक्ता वादी की ओर से उपस्थित।

2.प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.03.03 19:47:12 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक [illegible]2023

1.संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि वादी की खातेदारी [illegible] ग्राम बिठुजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1509/19 रकबा 1.0036 बीघा भूमि अवस्थित है। वादी का अपनी खातेदारी भूमि में कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी पक्ष का वादग्रस्त

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

भूमि में कोई सरोंकार नहीं है,फिर भी वादी की खातेदारी भूमि में दखलदान्जी की करने की कोशिश की जाती रहती है और आये दिन वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी माठे को तोड़ने को प्रयासरत है,जबकि प्रतिवादी पक्ष को ऐसा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार वादी की ओर से वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी पक्ष द्वारा किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें, इस आशंय की स्थाई निषेघाज्ञा प्रतिवादी के विरूद्व जारी करवानें हेतु यह वाद पेश किया गया है।

2.वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये रजिस्ट्रर्ड सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के रजिस्ट्रर्ड सम्मन सम्यक रूप से तामिल होने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.प्रतिवादी के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही पारित होने के कारण तनकीयात कायम की आवश्यकता नहीं रही। वादी गवाहान में पी.डब्ल्यू–1 धर्माराम के बयानात करवायें गयें। दस्तावेजी साक्ष्य में ई.एक्स.पी–01 वादग्रस्त भूमि ग्राम बिठूजा की खेत खसरा संख्या 1509/19 की जमाबंदी संवत 2079–2082 व ई.एक्स.पी–02 इसी ग्राम की नक्शा ट्रेस प्रति प्रदर्शित करवाई गई।

4.वादी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस में तर्क दिये कि वादी की खातेदारी भूमि ग्राम बिठूजा की खेत खसरा संख्या 1509/19 क्षैत्रफल 1.0036 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है,वादी का अपनी खातेदारी भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है,वादी अपनी खातेदारी भूमि में रहवांसीया ढाणीया,पानी के टांके,पशुओं के लिए बाड़े इत्यादि बने हुए है। वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का [illegible] कार नहीं है। लेकिन प्रतिवादी पक्ष झगड़ालू प्रवृति के व्यक्ति है [illegible] की नियत रखतें है और आये दिन वादी की खातेदारी कब्जाशुदा भूमि में दखल[illegible] करने की कोशिश करते रहते है,ओर वादी की खातेदारी भूमि की पुरानी कायम माठे को तोड़ने का प्रयासरत है,और आये दिन वादी को धमकिया दी जा रही है कि वादी की कब्जाशुदा भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.03.03 19:47:12 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

अवैध कब्जा कर लिया जावेगा। जबकि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई हक हकूक निहित नहीं है। इसके उपरांत भी ताकत के बल पर वादी की भूमि को हड़प करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि प्रतिवादी पक्ष ऐसा करने में सफल हो गया तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। अपनी बहस को जारी रखतें हुए आगे ओर कथन किया कि वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी साबित है कि प्रतिवादी पक्ष वादी की खातेदारी भूमि में हस्तक्षेप कर रहें है। ऐसी सूरत में प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी अति आवश्यक है। अन्त में निवेदन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आंशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे,कि वें वादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करने और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें।

5. हमनें वादी अधिवक्ता की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड,दस्तावेजात एंव बयानात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। जिसमें पाया कि ग्राम बिठूजा तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1509/19 क्षेत्रफल 1.0036 हैक्टेयर भूमि वादी की आवगी खातेदारी में इन्द्राज है,जो वादग्रस्त भूमि की जमाबंदी प्रदर्श–01 के अवलोकन से स्पष्ट है। वादी वादग्रस्त भूमि का खातेदार है और अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं में प्रतिवादी पक्ष किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे,इस कारण वाद लाया गया है। जो कि वादी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं को सुरक्षित रखने के हकदार है। क्योकि वादी की खातेदारी भूमि में प्रतिवादी पक्ष का कोई हक हकूक नहीं बनता है। प्रतिवादी पक्ष द्वारा वादी की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलदान्जी करने की कोशिश की जाती है,तो वादी को नुकसान होगी की प्रबल संभावना है। ऐसी सूरत में वादी प्रतिवादी के विरूद्व स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवानें का हकदार है। वादी पक्ष की ओर से बयानात से भी प्रमाणित है कि प्रतिवादी पक्ष वादी की खातेदारी भूमि में अवैध कब्जा करने की कोशिश करते रहते है,जो कि एक प्रकार से गैर कानूनी है और प्रतिवादी पक्ष को ऐसा कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिवादी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.03.03 19:47:12 IST
Reason: SelfAttested

दिये जाने के उपरांत भी अपनी ओर से कोई पक्ष नहीं रखा गया। उपरोक्त विवेचन उपरांत न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचा है कि वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6.लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादी संख्या 01 से 06 के विरूद्व इस आंशय की स्थाई निषेघाज्ञा जारी की जाती है,कि ग्राम बिठुजा तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 1509/19 क्षेत्रफल 1.0036 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलदान्जी नहीं करे और न ही अन्य किसी से करावें,उक्त भूमि में प्रवेश करने की चेष्टा नहीं करे, और न किसी प्रकार की बाधा अवरोध ही करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 17.02.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एस.डी.ओ.)बालोतरा
(S.D.O.)

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.03.03 19:47:12 IST
Reason: SelfAttested